न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 18/2023

उनवान

1. आशादेवी पत्नि सुन्दरदास
2. कमलादेवी पत्नि रमेशचन्द,
3. खुशी पत्नि राजकुमार,
4. गोविन्दराम पुत्र छबलदास,
5. मीनादेवी पत्नि होतचन्द,
6. शीलादेवी पत्नि रेखचन्द समस्त जातिगण सिंधी समस्त निवासी 3074 पलसानिया रोड नसीराबाद

—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री रणजीत सिंह रावत

बनाम

1. हंजा पत्नी बीरमदेव
2. प्रहलाद पुत्र कन्हैयालाल जातिजाट नि0 दिलवाडा, नसीराबाद
3. राज.सरकार जरिऐ तहसीलदार महोदय नसीराबाद जिला

—— प्रतिवादीगण :– 2 अनुपस्थित
1 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
3 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– १.५.२४

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व प0 म0 दिलवाडा के खाता संख्या 325/305 किता 10 रकबा 1.1740 की आराजी वादी एवं प्रतिवादी पक्ष की संयुक्त खातेदारी की है। जिस पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 का अलग–अलग हिस्सा निहित है। उक्त आराजी का आज दिनांक तक विभाजन नही हुआ है जिस कारण [illegible] उक्त आराजी पर दखलंदाजी कर रहे है। एवं अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। [illegible] आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा [illegible] किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण [illegible] तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 प्रकरण में अनपुरिस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से अधिवक्ता ने राजीनामा पेश कर [illegible] की सहमती दी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.04.08 13:45:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वादीगण ने निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की सह खातेदारी की है व वादी द्वारा मात्र विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। प्रकरण में खातेदारी उद्घोषणा नही चाही गयी है। राज0 पैरोकार ने प्रकरण में राजहित प्रभावित नही होने के कारण जवाव नही पेश करना जाहिर किया। प्रकरण में कोई खण्डन पेश नही होने से तनकी कायम नही की गयी।
अधिवक्ता वादी ने प्रकरण में कोई साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम सह खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। प्रतिवादी संख्या 2 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 ने राजीनामा पेश किया है। वादी द्वारा मात्र विभाजन का अनुतोष चाहा है। आराजी मुतनाजा के विभाजन से प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। प्रतिवादी अपनी आपत्ति विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय पेश कर सकते है। वादीगण विभाजन प्राप्ति का अधिकारी है।

अतः ग्राम व प0 म0 दिलवाडा के खाता संख्या 325/305 किता 10 रकबा 1.1740 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादीगण व प्रतिवादीगण की विधिवत उपस्थिति में आराजी मुतनाजा का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव समस्त सह खातेदारों के मध्य तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.04.08 13:45:42 IST
Reason: SelfAttested